24/02/25 पत्रावली वास्ते निर्णय प्रा.पत्र पेश हुई। उभय पक्ष अनु।
प्रा.पत्र प्रार्थी (प्रति. सं. 2) आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार
किया जाकर वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। GCMS 2022/55
डिक्री जारी हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 22/2022 GCMS: 2022/55 **दायर दिनांक : 31.01.2022**

1. अमित कुमार पुत्र दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मनीष पुत्र दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये वली रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (सगा चाचा)

—वादीगण

बनाम

1. दशरथराज पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राधा पत्नी दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सुनीता पुत्री दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. पवन कुमार पुत्र जगदीशकुमार जाति बिश्नोई निवासी 32 आर.बी. फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
6. उप—पंजीयक, सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

<u>वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92—ए, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपस्थित :
1. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री अमित कुमार सैनी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1
3. श्री लेखराज देरासरी, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 2 से 4
4. पैरोकार राज

<u>निर्णय</u> **दिनांक :२५.02.2025**

Signature Not Verified

पत्रावली निर्णय के लिए प्रस्तुत [illegible] षकगण पक्षकारान उपस्थित।

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन [illegible] बिन्दु, प्रार्थीया, जो

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

मूल वाद की प्रतिवादीया सं. 2 है, के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर निर्णय किया जाना है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा खातेदार कृषक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाके चक 7 एस.जी.आर.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता सं. 12/11 के पत्थर नं. 10/310 (47) के किला नं. 11 से 13, 16 से 25 = 3.289 है0, पत्थर नं. 9/310 (48) के किला नं. 1 से 25 = 6.325 है0, पत्थर नं. 8/310 (49) के किला नं. 11 से 25 = 3.795 है0 व पत्थर नं. 9/311 (55) के किला नं. 2 से 5 = 1.012 है0, कुल 14.421 है0 नहरी–अ.क.बा. मय खाला–रास्ता में से 0.506 है0, एवं इसी चक के खाता सं. 118/109 के पत्थर नं. 9/312 (61) के किला नं. 4 से 7, 14 से 18/2, 23 से 25 = 3.023 है0 व पत्थर नं. 9/313 (70) के किला नं. 1/1 से 5/1 = 0.303है0, कुल 3.326 है0 नहरी मय खाला–रास्ता, एवं इसी चक के खाता सं. 119/113 (73) के पत्थर नं. 13/306 (19) के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 = 1.265 है0, पत्थर नं. 12/306 (20) के किला नं. 16 से 25 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 7/309 (39) के किला नं. 3 से 5 = 0.759 है0, कुल 4.554 है0 नहरी मय रास्ता एवं इसी चक के खाता सं. 120/111 के पत्थर नं. 8/310 (49) के किला नं. 1 से 10 = 2.530 है0 व पत्थर नं. 7/310 (50) के किला नं. 1 से 17/1 = 4.263 है0, कुल 6.793 है0 नहरी मय खाला–रास्ता एवं इसी चक के खाता सं. 116/44 के पत्थर नं. 9/312 (61) के किला नं. 18/1 = 0.013 है0 नहरी एवं इसी चक के खाता सं. 117/116 के पत्थर नं. 7/310 (50) के किला नं. 17/2 = 0.038 है0 नहरी भूमि, जो वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 के दादा व प्रतिवादी सं. 1 के पिता व प्रतिवादी सं. 2 के ससुर हनुमान के नाम अंकित थी व उनके स्वर्गवास हो जाने पर प्रतिवादी सं. 1 सहित उनके तीनों पुत्रों के नाम विरासतन दर्ज हुई, को वादीगण ने पैतृक भूमि बताते हुए, उसमें प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में वादीगण का 1/2 हिस्सा होने एवं चक 7 एस.जी.आर.'ए' के खाता सं. 12/11 वर्तमान खाता सं. 1[illegible] 14.421 है0 में से 56/4807 हिस्सा यानि 0.168 है0, एवं खाता सं. [illegible] खाता सं. 41 की कुल 3.326 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 1.1086 है0, एवं खाता सं. 119/113 (73)

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

वर्तमान खाता सं. 42 की कुल 4.554 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 1.518 है0 एवं खाता सं. 120/111 की कुल 6.793 है0 में से 3.830 है0 में से 1/3 हिस्सा की 1.276 है0 वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं. 43 में 1276/6793 हिस्सा, जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित पैतृक भूमि थी, का दान–पत्र प्रतिवादी सं. 2 ने दबाव देकर अपने पक्ष में दिनांक 11.08.2021 को पंजीबद्ध करवाकर जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त दान–पत्रों को अवैध व प्रभाव शून्य होने से प्रतिवादी सं. 2 के नाम उक्त दान–पत्रों के आधार पर अंकित भूमि में वादीगण के हिस्सा अनुसार भूमि प्रतिवादी सं. 2 के नाम से कम की जाकर एवं शेष भूमि में वादीगण ने अपने हिस्सा की भूमि के खातेदार कृषक की घोषणा कर, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है, जिसमें प्रार्थीया (प्रतिवादीया सं. 2) के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर निर्णय किया जाना है। प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वाद में वादी सं. 2 मनीष पुत्र दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये वली रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (सगा चाचा) के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जबकि वादी सं. 2 के पिता दशरथराज प्रतिवादी सं. 1 व माता प्रार्थीया प्रतिवादी सं. 2 हैं, जो कि अभी तक जीवित हैं। किसी भी नाबालिग के माता–पिता यदि जीवित हों तो अन्य कोई व्यक्ति बिना सक्षम न्यायालय की डिक्री के कुदरती वली संरक्षक नहीं हो सकता। हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 04 (बी) में संरक्षक शब्द को परिभाषित किया गया है जिसमें चाचा शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। प्रस्तुत वाद रामेश्वर लाल द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के प्रस्तुत किया गया है, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (4 डी) में वर्णित "वाद विधि द्वारा वर्जित है" के तहत आता है, इसलिए वाद वादीगण निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी (वादी सं. 1) ने जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2, वादीगण के पिता व माता हैं। जैरप्रकरण भूमि प्रतिवादी सं. 1 को विरासतन प्राप्त हुई है व प्रतिवादी सं. 2 ने इसका दान–पत्र अपने पक्ष में करवा लिया तथा प्रतिवादी सं. 2 अब इसे बेचान करने पर उतारू है। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 2 व 1 वादीगण के हिस्से की भूमि खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं। वादी सं. 2 ने न्यायालय में आदेश 32 नियम 1 से 15 सी.पी.सी. व आदेश 11 नियम 23 एवं धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत करके ही वाद प्रस्तुत किया है। जैरप्रकरण रकबा में वादी सं. 2 का जन्मजात हक बनता है व नाबालिग के हितों की सुरक्षा करना न्यायालय का भी दायित्व है। आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस प्रकरण में लागू ही नहीं होता। नाबालिग की सुरक्षा के लिए न्यायालय रकबा संरक्षक घोषित कर सकता है। इस प्रकरण में नाबालिग के हितों को उसके माता–पिता दोनों ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया आधारहीन होने से मय खर्चा निरस्त करने का निवेदन किया। जवाब प्राप्त होने पर बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया (प्रतिवादीया सं. 2) ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि वाद वादीगण कतई श्रवण योग्य नहीं है। वाद में वादी सं. 2 मनीष नाबालिग जरिये वली रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो वादी सं. 2 का सगा चाचा लगता है। वादी सं. 2 के पिता दशरथराज प्रतिवादी सं. 1 व माता प्रार्थीया प्रतिवादी सं. 2 हैं, जो कि अभी तक जीवित हैं। किसी भी नाबालिग के माता–पिता यदि जीवित हों तो तीसरा व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकता। हिन्दू अप्राप्तवयता एवं संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 04 (बी) में संरक्षक शब्द को परिभाषित किया गया है जिसमें चाचा शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यदि माता–पिता दोनों ही अवयस्क के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हों तो हिन्दू प्रतिपालय अधिनियम, 1890 के तहत सिविल न्यायालय में संरक्षक नियुक्त होने के लिए वाद–पत्र पेश कर डिक्री [illegible] कर के ही माता–पिता से इत्तर डिक्रीधारी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स[illegible] है। वादी सं. 2 अपनी माता यानि प्रार्थीया के साथ रह रहा है। जैरवाद भू[illegible]का प्रार्थीया के पक्ष में

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:49:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दान–पत्र पंजीबद्ध करवाया जा चुका है, जो स्त्रीधन की श्रेणी में स्वयं अर्जित माना जाता है, जिसमें प्रार्थीया के जीवनकाल में कोई कैसे विभाजन की मांग कर सकता है। वाद वादीगण सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 (4 डी) में वर्णित वाद विधि द्वारा वर्जित (Baired by law) है, इसलिए वाद वादीगण निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण (वादीगण) ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नाबालिग के माता–पिता के जीवित होते हुए भी तीसरा संरक्षक हो सकता है। जैरप्रकरण रकबा वादीगण के दादा के नाम से था, जो उनके स्वर्गवास उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 को विरासत प्राप्त हुआ, जिसमें तीनों भाई–बहिनों वादीगण व प्रतिवादी सं. 3 का प्रतिवादी सं. 1 के जीवनकाल में जन्मजात हक व हिस्सा बनता है और इस हक व हिस्सा तक दान–पत्र निष्प्रभावी है। वादी सं. 2 के चाचा ने वाद मित्र की हैसियत से वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण ने अपने हितों की सुरक्षा हेतु अपने हकों की घोषणा चाही है। वाद मित्र हक घोषित करवा सकता है, जिसके हित अवयस्क के प्रतिकूल नहीं है। आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत वाद Baired by law नहीं है। नाबालिग की संरक्षक स्वयं न्यायालय है। वादीगण के हिस्से के रकबा पर कब्जा वादीगण का है। अपने कथनों के समर्थन में न्याय निर्णय आर.आर.टी. 2019 (1) पेज सं. 116, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज सं. 970, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज सं. 181 व आर.आर.टी. 2011 (2) पेज सं. 1433 प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया (प्रतिवादी सं. 2) निरस्त करते हुए वाद में तनकी बनाकर व पूर्ण सुनवाई कर ही वाद का निर्णय करने की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात् पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन किया व प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं पाया कि वर्तमान मामले में वादी सं. 2 नाबालिग है और रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, जो वादी सं. 2 का सगा चाचा है, ने वादी सं. 2 की ओर से जरिये वली वाद प्रस्तुत किया है। वादी सं. 2 के पिता व माता दोनों जीवित हैं, जो वाद में प्रतिवादी सं. 1 व 2 हैं। ऐसी स्थिति में यदि अन्य

क्रमशः ..... पेज 6 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

व्यक्ति जरिये संरक्षक वाद प्रस्तुत करता है तो उसे नियमानुसार सक्षम न्यायालय द्वारा वाद संरक्षक की नियुक्ति करवानी होगी, जो सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है और वाद में रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान द्वारा वादी सं. 2 मनीष के वाद संरक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय की कोई डिक्री प्रस्तुत नहीं की गयी। इसके अभाव में राजस्व न्यायालय किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण को प्रदान करने में अक्षम पाता है। रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान द्वारा बिना किसी विधिक अधिकार के वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे आगे चलाना अदालत के समय का दुरूपयोग ही माना जाने योग्य है। वाद Baired by law है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय आर.आर.टी. 2019 (1) पेज सं. 116, आर.आर.टी. 2003 (2) पेज सं. 970, आर.आर.टी. 2010 (1) पेज सं. 181 व आर.आर.टी. 2011 (2) पेज सं. 1433 इस मामले में भिन्न विषयवस्तु के होने से प्रभावशील नहीं हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया (प्रतिवादी सं. 2) स्वीकार कर, वाद वादीगण विधिक अधिकार के बिना प्रस्तुत होने से आदेश 7 नियम 11 (4 डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विधि द्वारा वर्जित माना जाकर निरस्त किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. अमित कुमार पुत्र दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. मनीष पुत्र दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर नाबालिग जरिये वली रामेश्वरलाल पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (सगा चाचा)

–वादीगण

बनाम

1. दशरथराज पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राधा पत्नी दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सुनीता पुत्री दशरथराज जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एस.जी.आर.'ए' ग्राम पंचायत संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. पवन कुमार पुत्र जगदीशकुमार जाति बिश्नोई निवासी 32 आर.बी. फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
6. उप–पंजीयक, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद अन्तर्गत 88, 92–ए, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 22 वर्ष 2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री शिशपाल शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 श्री अमित कुमार सैनी एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 श्री लेखराज देरासरी तथा पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया (प्रतिवादी सं. 2) स्वीकार कर, वाद वादीगण विधिक अधिकार के बिना प्रस्तुत होने से आदेश 7 नियम 11 (4 डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता में विधि द्वारा वर्जित माना जाकर निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24.02.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:29:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

रामेश्वरलाल द्वारा जारी सरसक वाद पत्र